श्री दीपक आनन्द, सचिव, खेल विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 07.08.2026 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे संपन्न प्रशाखा–01 की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जनसंपर्क पदाधिकारी, खेल विभाग।
6. श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
7. श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
8. श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (युवा), खेल निदेशालय।
9. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
10. सुश्री रूचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
11. श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय।
12. श्री रवि कुमार, वरीय सचिवालय सहायक, खेल विभाग।

I. **सर्वोच्च प्राथमिकताएँ**

(1) नियुक्ति हेतु आयोग को प्रेषित अधियाचनाएँ

(क) विभाग एवं निदेशालय के पदों पर–

I. बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल स्वीकृत पद– 380 है, जिसमें 379 पद रिक्त है। 379 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या–08/2025 प्रकाशित किया गया। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विवरण उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप आयोग ज्ञापांक–1921/आ0, दिनांक–04.05.2026 द्वारा खेल विधावार

10.8.26

कोटिवार रिक्तियों की विवरणी एवं पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया।

उक्त अधियाचित पदों के विरूद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के संबंध में उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा बताया गया कि एजेंसी चयन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है एवं Software 15 दिनों तैयार कर अभ्यर्थियों से क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विकल्प प्राप्त किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन– श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

II. बिहार खेल सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल सेवा संवर्ग के मूल कोटि के कुल पद–44 है। जिसमें प्रोन्नति हेतु स्वीकृत पद–11 एवं रिक्त पद 33 है। 33 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति से संबंधित परीक्षा सम्पन्न एवं परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभ्यर्थियों से आपत्ति (यदि कोई हो तो) प्राप्त करने की कार्रवाई दिनांक–29.07.2026 से प्रारंभ की गयी है। आपत्ति निराकरण के पश्चात् परीक्षा परिणाम प्रकाशित की जायेगी।

(अनुपालन– श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

III. बिहार खेल लिपिकीय सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल लिपिकीय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर निम्नवर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद–80 है। जिसमें सीधी भर्ती हेतु पद–68, कार्यरत बल–12, सीधी नियुक्ति के आधार पर कोटिवार कार्यरत पद– 15 इसके पश्चात् रिक्ति पद–53 है। 53 रिक्त पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन– श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर

कुल 81 पद स्वीकृत है। बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लिए स्वीकृत कुल 81 पदों में से 02 पदों के नियुक्ति नियमावलियों का गठन किया गया है

निम्नवर्गीय लिपिक के लिए कुल पद– 10 हैं, जिसमें कार्यरत पद एक भी नहीं है। 10 रिक्त पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल 48 रिक्त पदों के विरूद्ध चयन हेतु (विभागीय पत्रांक–3278 एवं दिनांक–29.07.2025) सामान्य प्रशासन विभाग अधियाचना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रेषित है।

उक्त अधियाचित पदों के विरूद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के संबंध में अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा आश्वस्त करते हुए कहा गया है कि आयोग द्वारा उक्त पद के नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु एजेंसी चयन की कार्रवाई दो दिनों के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। तदोपरांत उक्त अधियाचित पदों की परीक्षा तिथि शीघ्र प्रकाशित कर दी जायेगी।

उपर्युक्त के संबंध में अद्यतन सूचना आयोग से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ग) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा कुल 301 पदों का प्रस्ताव निर्गत हो चुका है। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया है और कार्यकारणी समिति से अनुमोदन किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से **HR Mannual** पर सहमति दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से संशोधित **HR Mannual** प्राप्त हो चुका है, जिसमें कुछ त्रुटियाँ है।

उक्त संशोधित **HR Mannual** में वित्त विभाग के परामर्श/आपत्ति के अनुरूप संशोधन पर विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(सुश्री रूचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(3) <u>सेवान्त लाभ</u>

(क) श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग एवं श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय द्वारा बताया गया कि सेवान्त लाभ का कोई मामला विभाग एवं निदेशालय में लंबित नहीं है।

(ख) एक वर्ष (31 दिसम्बर 2026 तक) में सेवानिवृत्त होने वाले खेल विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों, पदाधिकारियों की सूची तैयार कर संबंधित प्रशाखा पदा0/सहा0 प्रशाखा पदा0/खेल निदेशालय सहित के द्वारा संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका प्रस्तुत करेंगे। उन सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से सेवानिवृत्त संबंधी सभी कागजात प्राप्त कर सेवान्त लाभ को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(4) <u>ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0</u>

खेल विभाग में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, जिस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त के आलोक में तिथि दिनांक–11.08.2026 को 11 बजे निर्धारित है। इस हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(5) <u>न्यायालय से संबंधित मामले</u>

(क) माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले की सूची सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार की जायेगी।

(ख) यदि न्यायालय आदेश के अनुपालन की आवश्यकता है तो अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि अपील करने की या आदेश का संशोधन करने की आवश्यकता है तो विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर अपील दायर करने की कार्रवाई की जाय।

(ग) न्यायालय का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह का लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(अनुपालन– श्री अविनाश शंकर एवं श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सुश्री रूचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(6) <u>अवकाश</u>

(क) सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव अवकाश के लिए आवेदन संचिका के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के संमक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित करेंगे।

(ख) अतिआवश्यक परिस्थिति को छोड़कर बैठक के दिन (सोमवार एवं बुधवार) को कोई भी कर्मी अवकाश में नहीं रहेंगे।

(ग) वर्ग चार के कर्मियों का अवकाश संयुक्त सचिव स्वीकृत करेंगे।

(अनुपालन– श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी)

(7) <u>पद सृजन/ प्रोन्नति के संबंध में</u>

विभागान्तर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों का पद सृजन/प्रोन्नति से संबंधित जितने मामले पूर्व से लंबित है। उससे संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय।

(श्री अविनाश शंकर एवं श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी तथा श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(8) <u>क्रियाशील संचिकाओं के संबंध में</u>

सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनके अधीन जितने भी संचिकाएँ अति महत्वपूर्ण (यथा–नीति निर्माण, उच्चस्तरीय अनुमोदन अथवा विमर्श) से संबंधित है। वे सभी संचिकाएँ अधोहस्ताक्षरी के समझ अवलोकनार्थ हेतु एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(श्री अविनाश शंकर एवं श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी तथा श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

II. सामान्य प्राथमिकताएँ

(1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे।

पदाधिकारियों/कर्मियों के समय पर कार्यालय आने–जाने में सुधार नहीं होने की स्थिति में उनके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत् कार्रवाई की जाय।

कार्यालय अवधि के बाद कार्यालय आने–जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय साथ ही एक माह में दो दिन विलम्ब होने पर एक अकास्मिक अवकाश की कटौती की जाय।

(2) लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थापित करना निर्धारित प्रपत्र में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि0व0लि0 का साप्ताहिक लंबित पत्रों का प्रतिवेदन संचिका में संधारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जाय।

(3) निरीक्षण

(क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि0व0लि0 एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से उपस्थापित कर दिये जाने का निदेश दिया गया।

(ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय/निम्नवर्गीय लिपिक का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष–2026 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है। उक्त पुस्तिका का विमोचन दिनांक–29.08.2026 (शनिवार) को खेल दिवस के अवसर पर किया जाना है।

अतः निदेशित किया जाता है कि आप सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने–अपने प्रशाखा से संबंधित उपलब्धियों (फोटो सहित) को समेकित करते हुए श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जनसम्पर्क पदाधिकारी को दिनांक– 13.08.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

III. नवाचार

(1) ई–ऑफिस

दिनांक– 15.08.2026 से ई–ऑफिस के माध्यम से ही संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया, (अन्य वाह्य विभाग को जाने वाली संचिका को छोड़कर)। इस कार्य हेतु चयनित एजेंसी को तबतक भुगतान नहीं किया जाय जबतक उनके द्वारा कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है।

उक्त कार्य हेतु स्कैनर आदि सामग्री की आवश्यकता हो तो अविलम्ब क्रय की कार्रवाई की जाय तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आई0टी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे।

(2) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ वरीय सचिवालय सहायक/ कनीय सचिवालय सहायक/उच्चवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35–40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात् माह सितंबर के प्रथम सप्ताह से टंकण गति की जांच की जायेगी।

(3) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जनसम्पर्क पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में अनिवार्य विषयों पर सभी पदाधिकारी/कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आई0टी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे साथ हीं आई0टी0 प्रबंधक को निदेशित किया जाता है कि अनिवार्य विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किये गये सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का समेकित सूची अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(5) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश/ व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा एवं संयुक्त सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में अवर सचिव द्वारा किया जाय।

(IV) समस्या / सुझाव

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।

आगामी बैठक **दिनांक 20.08.2026 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे** में आहूत की जायेगी।

(दीपक आनन्द)
सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0–10(बैठक)–02 / 2026 3099 पटना / दिनांक–13.8 / 2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0–10(बैठक)–02 / 2026 3099 पटना / दिनांक–13.8 / 2026

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना / कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर / निदेशक (खेल) / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सहायक निदेशक, (क्रीड़ा,युवा एवं योजना) / प्रशाखा पदाधिकारी–01 / आई0टी0 मैनेजर / सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।